तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	रामवती / राज. सरकार
26/5/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० वादी उपस्थित अधि० वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 28/5/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
28/5/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० वादी उप० वाद पत्र वादी की डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल मि० है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः– सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांकः– 105/2024

1. राजवती पत्नि बलवीर सिंह जाति गूजर निवासी तुहिया पट्टी उच्चैन, भरतपुर।
.........वादिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील उच्चैन। ....असल प्रतिवादी।
2. हिम्मतसिंह पुत्र रामस्वरूप जाति गूजर निवासी उच्चैन। ....तरतीवी प्रतिवादी।

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88,89 आर.टी.ए.

उपस्थिति

1. श्री जयप्रकाश शर्मा एडवोकेट

दिनांकः–28.05.2025

निर्णय

वादिनी ने यह वाद पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान कारस्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खाता संख्या नया 454 खसरा नंबर 426/3.19, 430/0.14, 433/2.10, 434/1.05, 436/1.12, 901/3.10, 1048/2.03, 1362/3.12, 1423/280/0.06, 1427/280/0.03, 1430/280/0.03, 1431/280/0.03, 1432/280/0.03, 1433/280/0.01, 1434/280/0.04, 1435/280/0.04, 1436/280/0.04, 1446/280/0.07, 1798/289/1.00, 1995/1175/0.05 वाके ग्राम तुहियापट्टी उच्चैन में स्थित है। उक्त आराजी में से वादी ने खसरा नंबर 1362/3.12 में से 1/2 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 27.07.2015 को प्रतिवादी संख्या 2 हिम्मतसिंह से खरीदा था। जिसमें वादिनी राजवती का नाम सहवन से रामवती दर्ज हो गया था। इसी दिन वादिनी ने एक अन्य वयनामा और कराया था जिसमें वादिनी का सही नाम राजवती ही दर्ज किया गया था। उक्त दोनों वयनामाओं की प्रति वाद पत्र में संलग्न है। उक्त आराजी के नामांतरण से वादिनी का नाम राजवती की जगह रामवती दर्ज हो गया है। जबकि अन्य सभी दस्तावेजों में वादिनी का नाम राजवती ही है। सहवन से गलत हुए रामवती नाम को कलमजन कराने बाबत वादिनी द्वारा दिनांक 30.05.2018 को तहसील कार्यालय में राजस्व कर्मियों से निवेदन किया तो उनके द्वारा सक्षम न्यायालय से आदेश कराकर लाने को कहा गया जिसके कारण वादिनी ने यह वाद पत्र इस न्यायालय में पेश किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध बाबजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार उच्चैन ने जवाव पेश कर निवेदन किया है कि आराजी ख0 नं0 1380/0.58 वाके ग्राम तुहियापट्टी के अनुसार रामवती पत्नी बलवीर सिंह 1/2, हिम्मत सिंह पुत्र रामस्वरूप 1/2 रहन हिस्सा हिम्मत पीएनबी

Bharti
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

उच्चैन जाति गुर्जर के नाम खातेदार दर्ज रिकार्ड है जिसका मिसल अनुसार पुराना खसरा नंबर 1362 है। आधार वर्ष जमाबंदी संवत 2074–74 वाके ग्राम तुहियापट्टी में उक्त इंद्राज ख0 नंबर समान दर्ज रिकार्ड हैं। जमाबंदी संवत 2069–72 वाके ग्राम तुहियापट्टी में ख0 नं0 1362 में हिम्मतसिंह पुत्र रामस्वरूप हिस्सा पूर्ण खातेदार दर्ज रिकार्ड था जिसने जरिये नामां0 संख्या 1803 स्वीकृति दिनांक 20.08.2015 अपना आधा हिस्सा रामवती पत्नी बलवीर सिंह जाति गुर्जर को वयनामा किया गया। मजमेआम में पहुंच वयनाामा करने वाले खातेदार आदि अन्य मौतविरानों से संपर्क करने पर उनके द्वारा बताया गया कि वादिनी का नाम राजवती है। जो कि सहवन से राजस्व कागजातों में रामवती हो गया है। ग्राम तुहियापट्टी के हाल रिकार्ड अनुसार आराजी ख0 नं0 1589, 1591, 1590, 780, 779, 781, 782 में भी वादिनी खातेदार का नाम राजवती पत्नी बलवीर सिंह दर्ज रिकार्ड है। जिसकी मजमेआम अनुसार जानकारी करने पर मौतविरानों द्वारा बताया कि रामवती का मूल नाम राजवती ही है जिसके पति का नाम बलवीर सिंह है। वादिनी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में शपथ पत्र पेश किया है।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई । अभिभाषक प्रार्थी द्वारा वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वयनामा दिनांक 27.07.2015 को वादिनी का नाम सहवन से राजवती के स्थान पर रामवती हो गया था। जबकि अन्य सभी दस्तावेजों में वादिनी का नाम राजवती ही दर्ज है। रामवती एवं राजवती एक ही व्यक्ति है। वादिनी के गलत नाम रामवती को कलमजन कर सही नाम राजवती राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने का निवेदन किया है।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड ,वयनामा दिनांक 27.07.2015 एवं तहसीलदार उच्चैन से प्राप्त जबाब का अवलोकन किया गया। वादिनी का नाम रामवती के स्थान पर सही नाम राजवती राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:अतः आदेश है:–

वाद पत्र वादिनी डिक्री किया जाता है। तहसीलदार उच्चैन को आदेश दिये जाते हैं कि हाल ख0 नं0 1680 पुराना 1362 में वादिनी का गलत नाम रामवती पत्नी बलवीर सिंह को कलमजन कर वादिनी का सही नाम राजवती उर्फ रामवती पत्नी बलवीर सिंह राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 28.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Bharti

भारती गुप्ता (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Gode, Appendix D-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम उच्चैन

व इजलास सुश्री भारती गुप्ता (R.A.S.)

राधवती बनाम राजस्थान सरकार

दावा बाबत् धारा 88, 89 RTA

मुकदमा नं. 105/2024 सन्

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसालं कतई रू–ब–रू हमारे

व हाजरी श्री ओमप्रकाश शर्मा एड0 मिनजानिब

मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाता है कि

वाद पत्र वादिनी डिक्री किया जाता है। तहसीलदार उच्चैन को आदेश दिया जाता है कि हाल ख0नं0 1680 पुराना 1362 में वादिनी का गलत नाम रामवती पत्नी बलबीर सिंह को निरस्त कर वादिनी का सही नाम राधवती पत्नी बलबीर सिंह राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे

आज मुबलिग बावत्

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक का अदा करें।

वसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28 माह 05 वर्ष 2025

को जारी की गई।

दस्तखत [signature]

उपखण्ड अधिकारी

मुहर

ओहदा उच्चैन (भरतपुर)

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुद्दालय	रुपये	पैसे
स्टाम्प अरजीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सवूत			महनताना वकील)पर........		
महनताना वकील)पर........			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			वावत इजराय हुक्मनामा		
वावत इजराय हुक्मनामा					
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः– सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांकः– 105 / 2024

1. राजवती पत्नि बलवीर सिंह जाति गूजर निवासी तुहिया पट्टी उच्चैन, भरतपुर।

.........वादिया

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील उच्चैन। ....असल प्रतिवादी।
2.हिम्मतसिंह पुत्र रामस्वरूप जाति गूजर निवासी उच्चैन। ....तरतीवी प्रतिवादी।

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88,89 आर.टी.ए.

Gbharti